

दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता एवं उपयोगिता

* डॉ कृष्ण कुमार मि

शिक्षा सतत रूप से चलाने वाली एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य के जन्म जात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और उसको सम्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। यह कार्य मनुष्य के जन्म से प्रारम्भ हो जाता है। बच्चे के जन्म कुछ दिन बाद उसके माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य उसे सुनना-बोलना सिखाने लगते हैं। जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो उसे उठने-बैठने, चलने-फिरने, खाने-पीने तथा सामाजिक आचरण की विधियाँ सिखाई जाने लगती हैं। जब वह तीन-चार साल का होता है तो उसे पढ़ना-लिखना सिखाया जाने लगता है इसी आयु में उसे विद्यालय भेजना प्रारम्भ किया जाता है। विद्यालय में उसकी शिक्षा बड़े ही सुनयोजित ढंग से चलती रहती है। विद्यालय साथ-साथ उसके परिवार एवं समुदाय में भी कुछ ना कुछ सिखाया जाता रहता है, सिखने-सिखाने का काम विद्यालय छोड़ने के बाद जीवन भर चलता रहता है।

इस प्रकार व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा के तीन रूप होते हैं औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक

औपचारिक शिक्षा (फारमल एजुकेशन)

औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालयों, कालेजों, और विश्वविद्यालयों के प्रांगण में चलती है। इस शिक्षा की योजना बड़ी कठोर होती है। इसमें स्थान एवं समय पूर्व निर्धारित होते हैं।

निरौपचारिक शिक्षा (नान फारमल एजुकेशन)

औपचारिक शिक्षा के विकल्प के रूप में एक नये प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसकी योजना बड़ी लचीली है। इसके लिए स्थान वां समय भी पढ़ने वालों की सुविधा अनुसार निश्चित किया जाता है। इसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे-जन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा आदि।

1. दूरस्थ शिक्षा

2. पत्राचार शिक्षा

अनौपचारिक शिक्षा (इन फारमल एजुकेशन)

* असि. प्रोफेसर(बी०एड० विभाग)एम.एल.के.(पी.जी.) कालेज, बलरामपुर(उ.प्र.)

वह शिक्षा जिसके लिए कोई योजना नहीं बनायी जाती है और जो हर समय, स्थान पर स्वाभाविक रूप से चलती रहती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे-परिवार, समुदाय, आदि से प्राप्त शिक्षा।

इस प्रकार से हम शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न रूप को देखने के पश्चात यह महसूस करते हैं, कि वर्तमान में बढ़ रही जन संख्या में हमारे औपचारिक साधनों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। अतः निरौपचारिक शिक्षा के तहत दूरस्थ एवं पत्राचार शिक्षा लोगों को शिक्षा प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

दूरस्थ शिक्षा : अर्थ एवं परिभाषा-

दूरस्थ शिक्षा का अभिप्राय दूर बैठकर शिक्षा देने अथवा दूरी बनाकर शिक्षा प्रदान करने से है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दूरस्थ वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा देने वाले तथा प्राप्त करने वाले के बीच में दूरी बनी रहती है। परम्परागत शिक्षा प्रणाली में शिक्षा देने वाले अर्थात् अध्यापक तथा शिक्षा प्राप्त करने वाले अर्थात् छात्र के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध होते हैं। इसमें अध्यापक अपने सम्मुख बैठे छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है। परन्तु इस स्थिति के विपरीत दूरस्थ शिक्षा में अध्यापक तथा छात्र एक-दूसरे से विलग रहते हैं। अध्यापक विभिन्न प्रकार के सम्प्रेषण माध्यमों से छात्रों तक ज्ञान पहुँचाता है।

दूरस्थ शिक्षा को बी० होल्म बर्ग ने व्यापक रूप में परिभाषित करते हुए कहा है-

“दूरस्थ शिक्षा अध्ययन के अनेक प्रकारों में से एक है, जो कक्षा में अपने छात्रों के साथ उपस्थित अध्यापकों के निरन्तर तात्कालिक निरीक्षण से रहित है तथा जिसमें वे सभी शिक्षण विधियाँ समाहित रहती हैं जिसमें मुद्रण, यांत्रिक अथवा इलेक्ट्रानिक तकनीकों के द्वारा शिक्षण में किया जाता है।” होल्म बर्ग के दी गयी परिभाषा से स्पष्ट है, कि दूरस्थ शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय है, नियम में शिक्षा प्रदान करने की कई विधियाँ समाहित हो सकती हैं परन्तु दूरस्थ शिक्षा में अध्यापक तथा छात्र के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध का अभाव रहता है एवं इस प्रकार की शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को सुचारु ढंग से प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के सम्प्रेषण साधनों का प्रयोग किया जाता है।

दूरस्थ शिक्षा बीसवीं शताब्दी की देन है, परन्तु इसके विचार के उद्भव स्रोत को इससे पूर्व की शताब्दियों में देखा जा सकता है। प्रेषित पत्रों तथा साहित्यिक लेखों को दूरस्थ शिक्षा की शिक्षण-अधिगम विधि का आदि रूप स्वीकार किया जा सकता है जबकि पत्राचार द्वारा शिक्षण प्रारम्भ सन् 1840 में पिटमैन के पैनी डाक के माध्यम से छात्रों को शार्ट हैण्ड सिखाने के द्वारा हुआ था परन्तु कुछ विद्वान दूरस्थ शिक्षा का प्रारम्भ सन् 1830 से मानते हैं। सन् 1856 ई० में बर्लिन में पत्राचार द्वारा भाषा सिखाने के लिए एक स्कूल खोला गया।

भारतवर्ष में पत्राचार शिक्षा का प्रारम्भ दिल्ली विश्वविद्यालय ने सन् 1962 में किया। बाद में मेरठ, मैसूर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इलाहाबाद आदि अनेक विश्वविद्यालय तथा मा. यमिक शिक्षा परिषदों ने पत्राचार के द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य प्रारम्भ किया। सन् 1938 में अन्तर्राष्ट्रीय पत्राचार शिक्षा परिषद का गठन किया गया। सन् 1982 में कनाडा में अन्तर्राष्ट्रीय पत्राचार शिक्षा परिषद का बारहवां विश्व सम्मेलन हुआ। इस समय तक संसार के अनेक देशों में पत्राचार और खुली शिक्षा के प्रयोग सफल हो चुके थे। चूंकि अब इनके व्यवस्था में पत्राचार के अतिरिक्त अन्य साधनों का भी प्रयोग होने लगा था इसीलिए अब इस पत्राचार शिक्षा के स्थान पर दूर शिक्षा की संज्ञा दी गयी और अन्तर्राष्ट्रीय पत्राचार शिक्षा परिषद का नाम बदलकर अन्तर्राष्ट्रीय दूर शिक्षा परिषद कर दिया गया। वर्तमान में पत्राचार एवं खुली शिक्षा देनी ही दूर शिक्षा के अन्तर्गत आती है।

इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय के एक बुलेटिन ने खुली शिक्षा व निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है। " दूर शिक्षा वह शिक्षा है, जिसमें शिक्षक अथवा शैक्षिक संस्थान तथा शिक्षार्थी के मध्य मुख्य रूप से दूर का सम्बन्ध होता है, चाहे वह शिक्षा किसी भी विषय की हो तथा उसमें किसी भी सम्प्रेषण माध्यम का प्रयोग किया गया हो"।

दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता-

हमारे देश में दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा का उदय विशेषकर लोगों की नवी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हुआ है। ये आकांक्षाएँ ज्ञान विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट तथा आवश्यकताओं के विस्फोट के कारण पैदा हुई हैं। निम्नांकित तथ्य दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं।

1. दूरस्थ शिक्षा के द्वारा नवीन परिवर्तनों को समाहित करना सम्भव है। इस कारण इसके द्वारा ज्ञान को अधुनातन बनाये रखने में सहायता मिलती है।
2. जनसंख्या विस्फोट ने छात्रों की संख्या में वृद्धि की है। इस वृद्धि की आकांक्षाओं को औपचारिक शिक्षा -पद्धति द्वारा पूरा करना सम्भव नहीं हो पा रहा। अतः सभी के लिए शिक्षा हेतु दूरस्थ शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा पद्धति में सभी को प्रवेश पाना सम्भव नहीं है।
3. दूरस्थ शिक्षा द्वारा विभिन्न छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव है।
4. यह शिक्षा उन व्यक्तियों को अधिगम अवसर प्रदान करती है, जो कमाते हुए सीखना चाहते हैं।
5. यह शैक्षिक योग्यता बढ़ाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को अवसर प्रदान करती है।
6. यह प्रत्येक व्यक्ति को उसके दरवाजे पर शिक्षा प्रदान करती है।
7. यह शिक्षा के लोकतन्त्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
8. यह आत्म-विश्वास के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य- दूरस्थ शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं-

1. शिक्षा प्रदान करने के कार्य में तकनीकी विकास तथा संचार माध्यमों का उपयोग करना ।
2. देश के भिन्न-भिन्न स्थानों तक मानव जाति द्वारा अर्जित ज्ञान को पहुँचाकर उसके जीवन स्तर को उन्नत बनाना ।
3. अधिक शिक्षार्थी को कम व्यय में शिक्षित करना अर्थात् शिक्षा को लागत प्रभावी बनाना ।
4. शिक्षा प्राप्ति के प्रथम अवसर का लाभ न उठा पाने वाले व्यक्तियों को शिक्षा का दूसरा अवसर प्रदान करना ।
5. कार्यरत व्यक्तियों तथा घर पर ही रहने वाली गृहणियों को आगे शिक्षा जारी रखने के अवसर प्रदान करना ।
6. औपचारिक शिक्षा संस्थाओं पर छात्रों के दबाव को कम करने का प्रयास करना ।
7. शिक्षा प्राप्ति के अवसर सभी को उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करना ।

दूरस्थ शिक्षा के अंग-

संचार साधनों की सहायता से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली अध्यापक तथा छात्रों के बीच दूरी को पाटती है। दूरस्थ शिक्षा शिक्षा निम्न साधनों की सहायता लेती है।

1. **मुद्रित सामग्री-** दूरस्थ शिक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली मुद्रित सामग्री से अभिप्राय विशेष रूप से तैयार की गयी छपी हुई सामग्री से है। इसके अन्तर्गत स्वतः शिक्षण के पाठ अध्ययन निर्देशिका, पत्रिकाएं तथा पुस्तकें आती हैं।
2. **रेडियों तथा दूरदर्शन प्रसारण-** रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारण दूरस्थ शिक्षा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्रभावी साधन के रूप में कार्य करते हैं। इनसे छात्र अपने पाठ्यक्रम से सम्बंधित ज्ञान घर बैठे ही सीख सकते हैं। भारत में इस दिशा में प्रयास करने का संकेत कई शिक्षा नीति में किया गया है।
3. **रेडियो तथा दूरदर्शी के अतिरिक्त अन्य श्रव्य-दृश्य सामग्री का प्रयोग** दूरस्थ शिक्षा में किया जाता है। जैसे-स्लाइड, चलचित्र, वीडियो कैसेट, आडियो कैसेट, आदि इसमें आते हैं। छात्र इन्हें घर मँगाकर इनकी सहायता से ज्ञानार्जन कर सकते हैं।
4. **कम्प्यूटर आज के युग का एक अत्यंत उपयोगी साधन बन चुका है।** दूरस्थ शिक्षा में कम्प्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। छात्र कम्प्यूटर साफ्टवेयर मँगाकर अपने कम्प्यूटर की सहायता से घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
5. **अध्ययन केन्द्रों पर छात्रों तथा शिक्षकों-सलाहकारों का प्रत्यक्ष सम्पर्क कराया जाता है।** इन अध्ययन केन्द्रों पर छात्र अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी

कर सकते हैं। ये अध्ययन केन्द्र पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा श्रव्य-दृश्य साधनों से युक्त होते हैं।

दूरस्थ शिक्षा की सीमाएं—1. सामान्यतः यह माना जाता है कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का प्रयोग कुछ ही विषयों की शिक्षा प्रदान करने के लिए समुचित रूप से किया जा सकता है। यह आमतौर पर प्रचलित है कि कला विषयों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली उपयुक्त है परन्तु विज्ञान विषयों अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए इसका प्रयोग उचित नहीं माना जाता। वास्तुतः प्रयोगात्मक विषयों में छात्रों में कुछ कौशल को विकसित करना अपेक्षित होता है। तब तक कि इसके लिए प्रयोगात्मक अभ्यास की समुचित व्यवस्था हो तब तक का प्रशिक्षण कदाचित् सम्भव नहीं हो सकता है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में छात्रों के लिए प्रयोगात्मक प्रशिक्षण व्यवस्था करना कुछ कठिन होता है। इसके अतिरिक्त प्रयोगात्मक अभ्यास का निरीक्षण परिमार्जन करना भी एक बड़ा उत्तरदायित्व है जो केवल नियमित शिक्षण ही पूरा कर सकते हैं।

2. दूरस्थ शिक्षा केवल परिपक्व व्यक्तियों के लिए ही अधिक उपयोगी है। क्योंकि दूरस्थ शिक्षा में स्वाध्याय पर अधिक जोर रहता है, अर्थात् छात्रों को स्वयं अपनी लगन से अध्ययन करना होता है। उनके ऊपर दिन प्रतिदिन निरीक्षण करने वाला कोई नहीं होता है। छात्रों को स्वयं निर्णय करना होता है, कि हमने कितना सीखा है।

3. दूरस्थ शिक्षा छात्रों के लिए अधिक व्ययसाध्य है। दूरस्थ शिक्षा में प्रयोग किये जाने वाले साधन जैसे—कम्प्यूटर, रेडियो, दूरदर्शन, टेपरिकार्डर, पी.सी.पी. आदि अत्यंत महंगे होते हैं जिसके कारण निर्धन छात्र उन्हें नहीं खरीद पाते हैं।

4. दूरस्थ शिक्षा भारत जैसे देश के लिए अनुपयुक्त है। हमारे यहाँ काफी बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार हैं। दूरस्थ शिक्षा के द्वारा इन बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि वे व्यक्ति ही जो कि संस्थागत शिक्षा प्रणाली में प्रवेश ना मिलने के कारण शिक्षा पाने के मोह में दूरस्थ शिक्षा में प्रवेश ले लेते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988 में दूरस्थ शिक्षा—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त विश्वविद्यालय के सम्बंध में निम्न बातें कही गयी हैं।

1. उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने तथा शिक्षा को जनतांत्रिक स्वरूप देने का इससे जीवन प्रक्रिया बनाने के लिए मुक्त अधिगम प्रणाली शुरू की गयी है। हमारे देश के नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा धारा में जाने वालों सहित की विविधतापूर्ण आवश्यकताओं के लिए मुक्त अधिगम की लोचनीयता व नवाचार विशेष रूप से उपयुक्त हैं।

2. इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सन् 1985 में स्थापित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को सुदृढ़ किया जायेगा । यह राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना में सहायता भी प्रदान करेगा ।
3. राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को सुदृढ़ करके मुक्त अधिगम सुविधाओं को कमशः देश के सभी भागों में माध्यमिक स्तर पर विस्तृत किया जायेगा ।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यक्रम में कहा गया है कि मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाती है, पहुँच सुनिश्चित करती है, लागत की दृष्टि से प्रभावशाली है, तथा शिक्षा की नम्य व नवाचारी प्रणाली को प्रोत्साहित करती है।

दूरस्थ शिक्षा में संलग्न संस्थाएं—

हमारे देश में दूरस्थ शिक्षा की शुरुवात उच्च शिक्षा के क्षेत्र से हुई । 1976 ई० में पार्थ सारथी समिति ने देश में खुली शिक्षा शुरू करने और साथ ही राष्ट्रीय खुले विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया । इस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहल की मदुरई विश्वविद्यालय ने । उसने 1977 ई० में अपने अन्दर खुले विश्वविद्यालय की विंग स्थापित की। इसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ विंग स्थापित किए। जो कि अब इसका नाम डॉ० बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद कर दिया गया है। उसके बाद कोटा विश्वविद्यालय कोटा(राजस्थान) और नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय पटना (बिहार)की स्थापना हुई । सन् 1985 ई० में इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसी बीच में कर्नाटक राज्य में खुला विश्वविद्यालय मैसूर, मध्य प्रदेश भोज खुला विश्वविद्यालय, भोपाल, अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (गुजरात) और नेता जी सुभाष खुला विश्वविद्यालय, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) स्थापित हुए । सन् 1989 ई० में यशवन्त राव चव्हाण मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक (महाराष्ट्र) और 1999 में राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद उ० प्र० की स्थापना हुई। इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय दूर शिक्षा और सतत शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्था कामन वेल्थ आफ लर्निंग (सी.ओ.एल.) ने इसे 1993 में दूर शिक्षा व्यवस्था के लिए संसार में प्रथम स्थान प्राप्त किया था।

खुली शिक्षा के तहत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1979 ई० में एक खुले विद्यालय की स्थापना की। दिल्ली में स्थापित खुले विद्यालय को 1989 ई० में राष्ट्रीय खुला विद्यालय के रूप में समुन्नत किया गया । इसके अतिरिक्त पंजाब, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी खुले विद्यालय स्थापित किये गये ।

दूरस्थ शिक्षा की उपयोगिता

औपचारिक शिक्षा के विकल्प के रूप में शिक्षा की दो प्रणालियाँ प्रचलित हैं—पत्राचार शिक्षा और खुली शिक्षा ।

पत्राचार शिक्षा का तो जितनी गति से प्रसार हुआ था, उतनी ही गति से यह समाप्त होती जा रही है। खुली शिक्षा अभी अपना आसन अवश्य बनाए हुए है और उसका मुख्य कारण यह है कि यह उन बच्चों युवकों और प्रौढ़ों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती जो किसी कारण औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाये अथवा नहीं उठा पा रहे। साथ शिक्षा और जन शिक्षा के क्षेत्र में तो आज भी बड़ा सहयोग है और भविष्य में भी रहेगा। हम देश में भी परिवार कल्याण के प्रति रुझान उत्पन्न करने में भी दूर शिक्षा ने कमाल की सहाय प्रदान की है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक किसी भी प्रकार जनचेतना जागृत करने और काम धन्धों में लगे लोगों की सतत शिक्षा की व्यवस्था करने लिए अब किसी भी देश में दूर शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक हो गयी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता एस.पी.(2004) तथा अन्य : दूरस्थ शिक्षा, इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन।
2. पाठक पी.डी. एवं जी.एस.डी.त्यागी (2007) : शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त, आगरा-2: विनोद पुस्तक मन्दिर।
3. लाल, रगन बिहारी (2008) तथा अन्य : शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय सिद्धान्त, रस्तोगी पब्लिकेशनस मेरठ
4. सिंघल, महेश चन्द्र (2003) : भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ, हिन्दी अकादमी जयपुर राजस्थान